**लोकसभा सचिवालय**

लोकसभा संख्या: 18 सत्र संख्या: VIII

11.08.2026

**<u>नियम 377 के अधीन मामला</u>**

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना (के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल पंजीकरण और कतार प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना है। किंतु देश के कई जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों में इस डिजिटल व्यवस्था के क्रियान्वयन में गंभीर विसंगतियां सामने आ रही हैं। यद्यपि सॉफ्टवेयर और डिजिटल टोकन प्रणाली तकनीकी रूप से सक्रिय हैं, किंतु इन्हें धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक भौतिक ढांचे—जैसे डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, उद्घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित कर्मचारियों—का नितांत अभाव है। परिणामस्वरूप, मरीजों को डिजिटल टोकन मिलने के बावजूद घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे इस उन्नत तकनीक का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कागजों और प्रशासनिक डैशबोर्ड पर तो डिजिटल अनुपालन शत-प्रतिशत दिखाई देता है, परंतु जमीनी हकीकत में मरीजों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिल रही है। अतः सरकार यह अनिवार्य करे कि भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगली किस्त तभी जारी की जाए, जब उससे जुड़े सभी आवश्यक भौतिक उपकरण (Physical Hardware) पूरी तरह से स्थापित और चालू अवस्था में हों।

**बृजमोहन अग्रवाल**
**भारतीय जनता पार्टी**
**पहचान पत्र संख्या: 89**
**विभाजन संख्या: 157**